न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 71/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/झाला.
दायरा दिनांकः 27.7.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. अशोक आत्मज ताराचंद जाति भील
2. किशोर आत्मज ताराचंद जाति भील
3. रमेश आत्मज ताराचंद जाति भील
4. शांतिलाल आत्मज ताराचंद जाति भील
5. राधाबाई बेवा ताराचंद जाति भील
   निवासीगण गुढा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।

... अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र देवबाई जाति भील
2. भैरी बाई पुत्री देवबाई जाति भील
   निवासीगण झिरनिया पोस्ट दुर्गपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।
3. कमलेश आत्मज रामचन्द्र जाति भील निवासी गिन्दोर तहसील झालरापाटन जिला झालावाड।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड–राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बी0 के0 मंत्री अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभि0 रेस्पो0 क्रम–4

:::निर्णय:::

दिनांक 22.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 40/अपील/15 बउनवान अशोक वगेरा बनाम रामलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 10.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थीगण ने ग्राम गुढा तहसील झालरापाटन के माल की खाता सं0 14 की 10 किता आराजी रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा के 1/9 हिस्से का तहसीलदार झालरापाटन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 94 दिनांक 17.11.2014 कानून के खिलाफ एवं बिना कब्जे की तहकीकात के विधि विरूद्ध तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर नामा0 निरस्त करने हेतु अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय

मे पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 से खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि देवबाई बेवा कंवरलाल के दिनांक 4.9.2008 को फौत होने उपरांत रामलाल ने नामा0 सं0 73 दिंनाक 26.12.2011 तस्दीक करा कर विवादित भूमि मे स्वयं रामलाल व भूरीबाई रेस्पो0 नं0 2 का 1/9 हिस्सा दर्ज करा लिया जो गलत है जबकि उसका विवादित भूमि पर कभी कब्जा नही रहा जबकि वास्तविक रूप से भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। रेस्पो0 कम–4 ने बिना कब्जे को देखे एवं तहकीकात किये नामा0 सं0 94 तस्दीक कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पो0 कम–1 व 2 तथा उसकी बहन रामकन्या ने एस0डी0ओ0 झालावाड मे एक राजस्व वाद नम्बर 447/12 रामलाल बनाम प्रेमचंद वगेरा अपीलांट के खिलाफ किया था जो दिनांक 6.1.2015 को खारिज हो गया। रामकन्याबाई ने उसका हिस्सा नामा0 सं0 73 मे गलत तौर से दर्ज करवा लिया था उसकी रिलीज डीड अपीलांट अशोक के नाम रामकन्या ने पंजीयन करादी जो काबिल गौर है। फरीकेन जाति से भील है जिन पर हिन्दू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान लागू नही होते है। इस कारण पुत्रियो का पिता के खाते की आराजी मे हक अधिकार नही है इस कारण देवबाई का नाम ही खाते मे गलत दर्ज हुआ जिसका लाभ उठाते हुये रामलाल तथा भेरी बाई ने अपने पक्ष मे इंतकाल तस्दीक करवा लिया जबकि इनका विवादित भूमि मे कभी कब्जा नही रहा। रामलाल रेस्पो0 कम–1 व कन्याबाई उर्फ रामकन्या को नाबालिग वली देवबाई बेवा कंवरलाल भील बताकर झिरनियां के माल की आराजी ख0 नं0 65 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.6.2006 को मोहनलाल वल्द रोडू के नाम कर दिया जबकि उक्त भूमि मे रामलाल की बडी बहन भैरी का भी हक था रामलाल व भैरी बाई की तरफ से दावा भी किया गया जो दिनांक 6.1.2014 को खारिज हो चुका है। भैरी बाई का कभी खाते मे नाम नही रहा रजिस्टर्ड बयनामा मोहनलाल के पक्ष मे करया गया उसमे भी भेरीबाई का नाम नही है इस कारण इंतकाल खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दिनांक 10.5.2016 एवं तहसीलदार झालरापाटन का नामान्तरकरण सं0 94 दिनांक 17.11.2014 वाके ग्राम गुढा की आराजी रेस्पो0 कम–3 कमलेश के पक्ष मे खोला गया है उसे अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया एंव अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त कर प्रकरण मे रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानते हुये बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 4 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा बहस मे कथन किया कि विवादित आराजी गलततौर से भूलीबाई,रामाबाई,देवबाई,मुन्नीबाई पिसरान मांगीलाल के दर्ज थी जिस कारण भूलीबाई, रामाबाई ने अपीलांट अशोक, किशोर, रमेश तथा शान्तीलाल के हक मे रिलीजडीड पंजीयन कराकर उनका हक त्याग कर दिया किन्तु देवबाई का नाम खाते मे चला आया। देवबाई के दिनांक 4.9.08 को फौत होने उपरांत उसका फौती नामा0 सं0 73 दि0 26.12.11 रेस्पो0 कम–1 के नाम तस्दीक किया गया जबकि उसका भूमि पर कभी कब्जा नही रहा। देवबाई का भूमि मे किसी प्रकार से हक अधिकार नही था। इस प्रकार नामा0 सं0 73 प्रभाव शून्य होने से विक्रय के आधार पर रेस्पो0 कम–3 कमलेश के पक्ष मे तस्दीक किया गया नामा0 सं0 94 दिनांक 17.11.2014 भी प्रभावशून्य है। अतः नामा0 सं0 73 व नामा0 सं0 94 दोनो प्रभाव शून्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.5.2016 व नामा0 सं0 94 अपास्त किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 4 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–4 पर मनन किया। प्रश्नगत

प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि देवबाई के फौत होने उपरांत रेस्पो0 क्रम–1 के नाम गलत तौर पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु नामा0 किस प्रकार से गलत है अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं प्रश्नगत अपील प्रकरण मे इस तथ्य को साबित नही किया है। नामा0 देवबाई के फौत होने पर फौती इंतकाल तहसीलदार द्वारा उसके जायज वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का यह भी तर्क रहा है कि रामलाल ने उसके पिता के खाते की तस्दीक किये गया जमीन पर उसकी बहिन भेरीबाई का नाम बदनियत से दर्ज करा दिया। अपीलार्थीगण का उक्त तर्क समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार्य नही है। तथाकथित नामा0 सं0 94 से अपीलार्थीगण किस प्रकार प्रभावित है तथा प्रकरण मे अपीलांट का क्या हित निहित है प्रश्नगत प्रकरण मे स्पष्ट नही होता है। हम प्रथम अपीलीय के इस अभिमत से सहमत है कि नामान्तकरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिससे केवल मात्र यह तय होता है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है– इन्तकाल से पक्षकारान के हक–हकूको का निर्धारण नही होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त अभिमत विधिसम्मत है। उक्त तथ्यो के आलोक मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 से खारिज करने मे कोई विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। लिहाजाः उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। फलत् अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा मि0नं0 40/अपील/15 बउनवान अशोक वगेरा बनाम रामलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 10.5.2016 को यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा